(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 08 / 2021

इस्तगासा गुण्डा एक्ट रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021 / 334

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ
(सायल)

बनाम

अब्दुल सईद उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल शंकूर निवासी सालपुरा थाना कवाई जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री प्रियदर्शन शर्मा एड0 (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 22.03.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल अब्दुल सईद उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल शंकूर निवासी सालपुरा, जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कवाई जिला बाराँ में वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासे प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण [illegible] प्रकरणों [illegible] न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है यह गुण्डा की परिभाषा [illegible] है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासे विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा दिनांक 27.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कवाई जिला बाराँ में वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसकी दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के अभिभाषक द्वारा जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होते है तथा आरोप भी ऐसे नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान हों। गैरसायल के विरूद्व लगाये गये प्रकरण अलग–अलग वर्ष में दर्ज हुये है तथा किसी भी व्यक्ति समूह संगठन एवं सामाजिक संगठन के द्वारा कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। जो भी प्रकरण है, वो पुलिस थाना द्वारा दर्ज कराये गये है जो मिथ्या है। गैरसायल के विरूद्व उक्त कार्यवाही पेश करने से पूर्व थाना अधिकारी कवाई द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट चरित्र बाबत प्राप्त नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ सभी प्रकरण 13 आर.पी.जी.ओ. के है। जो वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। सभी मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। गैरसायल वर्तमान में मेहनत–मजदूरी कर अपना एवं परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। थानाधिकारी द्वारा अभियान के दौरान राज्य सरकार के दबाव में आकर उक्त प्रकरण दर्ज करके गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है जो सर्वथा मिथ्या है। गैरसायल ने किसी भी प्रकार से न तो कोई अशांति उत्पन्न की है और न हीं किसी भी प्रकार से लोगों को डराया–धमकाया है। यदि गैरसायल को जिले से बाहर किया गया तो उसके बुजुर्ग माता–पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा तथा परिवार को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। गैरसायल का भविष्य खराब हो जावेगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि गैरसायल के विरूद्व खोली गई कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:33:22 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना कवाई जिला बाराँ में वर्ष वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अब्दुल सईद उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल शंकूर निवासी सालपुरा, जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल अब्दुल सईद उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल शंकूर निवासी सालपुरा, जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कवाई जिला बाराँ से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल अब्दुल सईद उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल शंकूर निवासी सालपुरा, जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कवाई जिला बाराँ क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अयाना जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 07.04.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कवाई जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अयाना जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **22.03.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested